म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 674 / 4860 भोपाल, दिनांक 25/ 02 / 2021

–::परिपत्र::–

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों, तकनीकि कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय भोपाल में उपस्थित हो जाते है जिससे कार्यालयीन कार्य एवं अधोहस्ताक्षरी का समय नष्ट होता है। जबकि मुख्यालय द्वारा पूर्व में इस संबंध में कई बार दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

अतः म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों, तकनीकि कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् व्यक्तिगत कार्य अथवा कार्यालयीन कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी से कार्यालय द्वारा प्रदाय गणवेश धारण कर भेंट कर सकते है उक्त भेंट हेतु प्रत्येक सप्ताह में दिन–बुधवार, समय–दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से बगैर अनुमति के उपस्थित एवं बिना गणवेश के पाये जाने पर संबंधित कर्मी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 674 / 4861 भोपाल, दिनांक 25/ 02 / 2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1 निज सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणप बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2 अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3 संयुक्त संचालक/उप संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड ———/कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग————(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशो का आपके अधीनस्थ कार्यालयों में भी कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

4 संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणप बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

5 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला........................(समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशो का आपके अधीनस्थ कार्यालयों में भी कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Rajesh_Paripathr